कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 31/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री रोहिताश कुमार सिलण पुत्र श्री जयसिंह सिलण निवासी भोजासर तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा।

–––प्रत्यर्थी

आदेश दिनांकः–18.07.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी की अपील के अनुसार अपीलार्थी द्वारा यह अपील संयुक्त रूप से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी–भादरा, लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति–भादरा व लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत–भोजासर के सम्बन्ध में की गई है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.5.2019 में अंकित बिन्दुओ के संबध में सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को रेस्पो0 नं0 1 ता 3 से सूचना नहीं मिलने पर सूचना दिलाये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा से पत्र कमांक 1034 दिनांक 17.07.2019 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का अवलोकन करने से यह अपील संयुक्त रूप से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी–भादरा, लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति–भादरा व लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत–भोजासर के संबंध में होना पाई गई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी–भादरा की हद तक अपील दर्ज करते हुए अपील की एक–एक चित्रप्रति प्रधान पंचायत समिति–भादरा व सरपंच ग्राम पंचायत–भोजासर को प्रेषित करते हुए जिसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ अपीलार्थी को प्रेषित की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी–भादरा के उक्त पत्र के साथ संलग्न पत्र कमांक 905 दिनाक 13.05.2019 की प्रति का अवलोकन करने से उनके द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति–भादरा को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अंतरित करते हुए जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाना पाया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति–भादरा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नही करवाने पर सक्षम लोक सूचना अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने के लिए अपीलार्थी स्वतंत्र है। अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ